यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, पदेन महानिदेशक पर्यटन/पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, पदेन महानिदेशक पर्यटन/पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद, देहरादून के माह 12/2019 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, पर्यवेक्षक, श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री कृपाल सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.02.2021 से 12.03.2021 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर0एन0 यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री अंकित पाण्डे, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30.12.2019 से 15.01.2020 तक श्री बिभास मुखर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 04/2016 से 11/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 12/2019 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- देहरादून।

(ii)(अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(रू लाख में)

	स्थापना		**गैर-स्थापना**		**बचत**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	
2018-19	1578.93	1394.92	10968.76	10789.25	363.52
2019-20	1626.10	1186.13	14288.11	13596.19	1131.89
2020-21 (02/21)	1546.24	1238.54	15867.71	13082.22	3093.19

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**कुल प्राप्त**	**व्यय**	**बचत**
2018-19	स्वदेश दर्शन, प्रसाद व ग्रामीण पर्यटन विकास योजनाए।	1226.32	4728.74	5955.06	5198.45	756.61
2019-20	-तदैव-	756.61	2283.45	3040.06	2306.16	733.90
2020-21 (02/21)	-तदैव-	733.90	1474.44	2208.34	914.59	1293.75

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय, पदेन महानिदेशक पर्यटन/पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद, देहरादून 'ए' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

सचिव पर्यटन
पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी/पदेन निदेशक पर्यटन
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, पदेन महानिदेशक पर्यटन/पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, पदेन महानिदेशक पर्यटन/पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर 01: ₹ 103.9502 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों की अनियमित अधिप्राप्ति।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम **13.(1)** के अनुसार ₹ 25,00,000 (₹ पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित कर की जानी चाहिए।

नियम 35(1) के अनुसार कोई कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा हो या अनेपक्षित, अप्रत्याशित घटनाओं के कारण विलम्ब से पूरा हो।ऐसे प्रकरणों में जल्दी कार्य पूरा होने पर लाभ देने एवं विलम्ब हेतु दण्डित करने का प्राविधान संविदा में अत्यन्त न्यायपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए तथा नियम 36. के अनुसार ₹ 25 करोड लागत से अधिक के अनुमानित कार्य के लिए ₹ 50 लाख + ₹ 25 करोड़ से अधिक अनुमानित लागत का 01 प्रतिशत कार्यदायी संस्था से धरोहर राशि के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए। संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत के बराबर कार्यपूर्ति गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए तथा प्रतिभूति निक्षेप - संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति निक्षेप की धनराशि प्राप्त की जानी चाहिए।

सामान्य वित्तीय नियम 225 (V) के अनुसार कोई निर्माण कार्य बिना अनुबंध गठित किए, नहीं निष्पादित किया जाना चाहिए।

(अ) स्वदेश योजना के अंतर्गत "Integrated Development of Eco-Tourism Related Infrastructure, Adventure Sports Associated Tourism Related Infrastructure for Development of Tehri lake and surroundings as new destinations district Tehri" का निर्माण।

भारत सरकार, पर्यटन मन्त्रालय द्वारा 2014-15 में शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना "स्वदेश" का आरंभ किया। योजना की गाइड लाइंस के अनुसार कार्यान्वयन इकाई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निविदाएँ आमंत्रित करते समय समस्त औपचारिकतायें की जाएंगी, ई-निविदाओं/ई-अधिप्राप्ति प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा तथा कार्य निर्धारित अवधि के अंदर पूर्ण किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2015 में उक्त योजना हेतु ₹ 80.3734 करोड़ की स्वीकृति जारी की जिसे जुलाई 2020 में ₹ 69.1654 करोड़ हेतु संशोधित किया गया। स्वीकृति पत्र के अनुसार निर्माण कार्य स्वीकृति से 36 महीनों के अंदर पूर्ण किया जाना था। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (परिषद) द्वारा निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (निर्माण इकाई) को आबंटित किया गया। निर्माण इकाई द्वारा एक दिसम्बर 2015 को कार्य आरंभ किया गया। भारत सरकार द्वारा ₹ 65.7071 करोड़ की धनराशि जारी की थी। निर्माण इकाई को कनसलटिंग व्यय सहित ₹ 67.8159 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया था। निर्माण इकाई

द्वारा ₹ 69.4820 करोड़ का व्यय किया गया था। योजना का एक कार्य निर्माण कार्य आरंभ होने के पाँच वर्ष बाद भी अवशेष था।

अभिलेखों की संवीक्षा में निर्माण कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित अनियमिततायें पायीं गईं:

- निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निविदाएँ, नहीं आमंत्रित नहीं की गईं, निर्माण इकाई से धरोहर राशि, कार्यपूर्ति धनराशि/प्रतिभूति निक्षेप की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी, निर्माण इकाई के साथ कार्य निष्पादन हेतु कोई अनुबंध नहीं किया गया।
- निर्धारित अवधि के दो वर्ष से अधिक अवधि के बीत जाने के बाद भी योजना का एक कार्य अपूर्ण था।
- योजना के कुछ कम्पोनेंट्स में स्वीकृत धनराशि से ₹ 2.6322 करोड़ अधिक धनराशि का व्यय किया गया, जैसा की निम्न तालिका से स्पष्ट है।

Name of component	Sanctioned amount	Actual expenditure	Excess expenditure
Construction of floating Eco log huts-20 Nos	1128.54	1233.75	105.24
Construction of Eco-Log Lodges	180.00	183.15	3.15
Construction of Multi -Purpose Hall cum restrooms and souvenir Kiosks	100.00	101.75	1.75
Construction of Guard wall, retaining wall & compounding	120.00	142.83	22.83
Construction of two step promenade with safety railings (Sirain)	120.00	197.62	77.62
Construction of two step promenade with safety railings(nandgaon)	185.00	208.24	23.24
Construction of utility areas with pocket parking	150.00	162.51	16.51
Construction of promenade and nailing of lake front on bhilangana end at koti	500.00	512.88	12.88
Total	2483.54	2742.73	263.22

- "स्वदेश "शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना होने के वावजूद भी भारत सरकार से स्वीकृति की प्रत्याशा में पर्यटन कोष से ₹ 3.00 करोड़ व्यय किए गए।

(ब) **Integrated Development of Kedarnath under the "PRASAD" Scheme.**

भारत सरकार, पर्यटन मन्त्रालय द्वारा 2014-15 में शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना "प्रसाद" का आरंभ किया। योजना की गाइड लाइंस के अनुसार कुल योजना हेतु आबंटित धनराशि का 10 प्रतिशत प्रचार-प्रसार हेतु अलग रखा जाएगा, परियोजना की स्वीकृति की तिथि से तीन महीने के अंदर निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी चाहिए। भारत सरकार द्वारा मार्च 2016 में उक्त योजना हेतु ₹ 34.7848 करोड़ की स्वीकृति जारी की गयी। स्वीकृति पत्र के अनुसार निर्माण कार्य स्वीकृति से 24 महीनों के अंदर पूर्ण किया जाना था। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (परिषद) द्वारा निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (निर्माण इकाई) को आबंटित किया गया। निर्माण इकाई द्वारा 15 जून 2016 को कार्य आरंभ किया गया। भारत सरकार द्वारा ₹ 27.8278 करोड़ की धनराशि जारी की थी। निर्माण इकाई को ₹ 34.7848 करोड़ कीधनराशि का भुगतान किया गया था। निर्माण इकाई द्वारा ₹ 32.8880 करोड़ का व्यय किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा में निर्माण कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित अनियमिततायें पायीं गईं:

- पाया गया कि निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निविदाएँ, नहीं आमंत्रित नहीं की गईं, निर्माण इकाई से धरोहर राशि, कार्यपूर्ति धनराशि/प्रतिभूति निक्षेप की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी, निर्माण इकाई के साथ कार्य निष्पादन हेतु कोई अनुबंध नहीं किया गया;
- योजना की गाइड लाइंस के अनुसार कुल योजना हेतु आबंटित धनराशि का 10 प्रतिशत प्रचार-प्रसार हेतु अलग नहीं रखा गया।
- कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से लगभग तीन वर्ष की अवधि के बीत जाने के बाद भी योजना का कार्य अपूर्ण था, जबकि निर्माण इकाई को सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि समय से अवमुक्त कर दी गयी थी। एवं
- "प्रसाद "शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना होने के वावजूद भी भारत सरकार से स्वीकृति की प्रत्याशा में पर्यटन कोश से ₹ 6.9570 करोड़ व्यय किए गए।

इस प्रकार उपरोक्त दोनों योजनाओं (स्वदेश एवं प्रसाद) के ₹103.9502 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों की उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली व योजना की गाइड लाइंस का उल्लंघन करते हुए अनियमित अधिप्राप्ति की गयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर निदेशक पर्यटन ने स्वीकार किया कि निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निविदाएँ, नहीं आमंत्रित नहीं की गईं, निर्माण इकाई से धरोहर राशि, कार्यपूर्ति धनराशि/प्रतिभूति निक्षेप की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी, निर्माण इकाई के साथ कार्य निष्पादन हेतु कोई अनुबंध नहीं किया गया।

अतः दोनों योजनाओं (स्वदेश एवं प्रसाद) के ₹ 103.9502 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों की उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली व योजना की गाइड लाइंस का उल्लंघन करते हुए अनियमित अधिप्राप्ति का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (अ)

प्रस्तर 02: ₹ 30.55 करोड़ की विभागीय प्राप्तियों का शासकीय लेखे में जमा न कराया जाना व प्राप्तियों से ₹ 22.61 करोड़ का अनियमित व्यय।

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, अधिनियम के नियम 14(1) के अनुसार परिषद एक पर्यटन कोष स्थापित करेगी जिसका नियंत्रण एवं प्रशासन परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत किया जाएगा तथा नियम 14(4) के अनुसार पर्यटन कोष की धनराशि परिषद के प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति हेतु व अधिनियम के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त व्यय हेतु प्रयोग में लाई जाएगी। अधिनियम के उक्त प्राविधानों के अनुपालन में परिषद द्वारा 29 अक्टूबर 2005 को एक बैठक आहूत की गयी जिसमे पर्यटन कोष नियमावली अनुमोदित की गयी। उक्त नियमावली में यह प्राविधानित किया गया था कि यह नियम राज्य सरकार के आधिकारिक गज़ट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे। उक्त नियमों के अनुसार नियमित रूप से पर्यटन कोष के लेखा-व लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु, परिषद को त्रैमासिक प्रगति आख्या प्रस्तुत करने हेतु, परिषद और राज्य सरकार को पर्यटन कोष की वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक कार्यकारी समिति होगी। उक्त समिति की आवश्यकतानुसार प्रायः बैठकें कम से कम दो माह में एक बार आयोजित की जाएंगी।

पर्यटन कोष का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा, जिसमें सभी प्राप्तियाँ जमा कराईं जाएंगी। उक्त खाते का संचालन परिषद के सचिव और कार्यकारी समिति के कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से समिति की स्वीकृति से किया जाएगा। समिति की तरफ से परिषद की सभी आय और व्यय के लेखों का रख-रखाव कोषाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा उनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी। वार्षिक लेखे परिषद के अनुमोदन के उपरांत प्रति वर्ष राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे तथा उन लेखों को राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

Further,Rule 21 of Financial Handbook, Volume-V (Part-1) provided that Under Treasury Rule 7(1), all moneys as defined in articles 266, 267 and 284 of the Constitution, received by or tendered to Government servants in their official capacity shall, without undue delay be paid in full into the treasury or into the Bank and shall be included in the Government Account. Except as provided in Treasury Rule 7(2) (paragraph 21-A), moneys received

as aforesaid shall not be appropriated to meet departmental expenditure, nor otherwise kept apart from the Government Account.

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पर्यटन कोष के नाम से तीन बैंकों में (येस बैंक, आई सी आई सी आई बैंक एवं इलाहाबाद बैंक) खाते खोले गए थे। उक्त खातों में विगत तीन वित्तीय वर्षों में निम्नानुसार लेन-देन किया गया था।

(धनराशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**येस बैंक**				**आई सी आई सी आई बैंक**				**इलाहाबाद बैंक**			
	प्रा .शेष	**प्राप्ति**	**व्यय**	**अन्तः शेष**	**प्रा. शेष**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**अन्तः शेष**	**प्रा. शेष**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**अन्तः शेष**
2018-19	11.52	12.13	3.96	19.69	1.76	0.12	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019-20	19.69	11.46	14.02	17.13	1.88	0.10	0.12	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-21 **(फरबरी 2021 तक)**	17.13	3.01	4.18	15.96	1.86	0.05	0.004	1.90	0.00	3.68	0.33	3.35
योग	-	**26.60**	**22.16**	**-**	-	**0.27**	**0.124**	**-**	-	**3.68**	**0.33**	**3.35**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के दौरान उक्त खातों में विभिन्न स्रोतों (हरिद्वार व गोविंद घाट पार्किंग शुल्क, रिवर राफ्टिंग शुल्क, होटल पंजीकरण शुल्क, रैन-बसेरा व दुकानों का किराया, औली एक्सपेडीशन हॉस्टल व नन्दा देवी रिसोर्ट से आय, प्रचार ईवेंट्स, ट्रैवल ट्रेड से आय, निविदा शुल्क आदि तथा अन्य स्रोतो से प्राप्त आय) से क्रमशः कुल ₹ 26.60 करोड़,₹ 0.27 करोड़ एवं ₹ 3.68 करोड़ की धनराशि जमा कराई गयी थी, तथा जमा कराई गयी धनराशि के सापेक्ष उक्त वर्षों में क्रमशः ₹ 22.16 करोड़,₹ 0.124 करोड़ एवं ₹ 0.33 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया तथा उक्त खातों में 28 फरवरी 2021 को क्रमशः ₹ 15.96 करोड़, ₹ 1.90 करोड़ एवं ₹ 3.35 करोड़ अवशेष थे।

अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमिततायें पायीं गयीं:

- परिषद द्वारा अक्टूबर 2005 में पर्यटन कोष के संचालन हेतु अनुमोदित नियमावली 15 वर्ष से अधिक का समय बीतने के बाद भी राज्य सरकार के आधिकारिक गज़ट में प्रकाशित नहीं की गयी।
- पर्यटन कोष के एक से अधिक खाते राष्ट्रीयकृत बैंक के स्थान पर दो निजी बैंको में खोले गए थे।
- कार्यकारी समिति द्वारा पर्यटन कोष की त्रैमासिक प्रगति आख्या कभी परिषद को प्रस्तुत नहीं की गयी।
- कार्यकारी समिति द्वारा पर्यटन कोष की वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन कभी परिषद और राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गयी।
- कार्यकारी समिति की बैठकें आहूत नहीं की गईं थीं। एवं
- वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियम का उल्लंघन करते हुए विभागीय प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्ति शीर्ष में जमा कराये जाने के स्थान पर निजी बैंक में खोले गए खातों में जमा कराई जा रहीं थीं ।

चूंकि परिषद द्वारा पर्यटन कोष के संचालन हेतु बनाई गयी नियमावली राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर आधिकारिक गज़ट में प्रकाशित नहीं की गयी थी, अतः उक्त नियमावली प्रभावी नहीं थी। इस प्रकार वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियम का उल्लंघन करते हुए ₹ 30.55 करोड़ की विभागीय प्राप्तियों का शासकीय लेखे से बाहर रखना और उससे ₹ 22.61 करोड़ का अनधिकृत व्यय योजनाओं तथा अन्य मदों (जिसके लिए शासन से प्रति वर्ष बजट का आबंटन किया जाता है) में किया जाना, अनियमित था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर निदेशक, पर्यटन ने स्वीकार किया कि पर्यटन कोष के खाते राष्ट्रीयकृत बैंक के स्थान पर दो निजी बैंकों में खोले गए थे कार्यकारी समिति द्वारा पर्यटन कोष की त्रैमासिक प्रगति आख्या कभी परिषद को प्रस्तुत नहीं की गयी, कार्यकारी समिति द्वारा पर्यटन कोष की वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन कभी परिषद और राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गयी, कार्यकारी समिति की बैठकें आहूत नहीं की गईं थीं एवं 2005 से विभागीय प्राप्तियाँ उक्त बैंक खातों में जमा कराई जा रहीं थीं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि परिषद द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशियों को विभागीय प्राप्ति लेखाशीर्ष में जमा किए जाने हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर पर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर ली जाएगी, जिसे आगामी संप्रेक्षा में अवगत करा दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिषद द्वारा अनुमोदित नियमावली राज्य सरकार के आधिकारिक गज़ट में

प्रकाशित न होने के कारण प्रभावी नहीं थी। अतः विभागीय प्राप्तियाँ सुसंगत लेखाशीर्ष में यथा समय जमा कराई जानी चाहिए थीं।

अतः ₹ 30.55 करोड़ की विभागीय प्राप्तियों को शासकीय लेखे से बाहर रखना और उससे ₹ 22.61 करोड़ के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (अ)</u>

प्रस्तर 03: डीएवीपी दरों का अनुसरण न करने के कारण ₹ 0.6596 करोड़ का निरर्थक व्यय।

DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY (DAVP) द्वारा पूरे भारत में एम्पेनल्ड 327 आडिओ व विडियो निर्माताओं हेतु मई 2012 में रेट कार्ड जारी किया गया था, जो 31 मार्च 2021 तक वैध था।

(अ) उत्तराखंड में होम स्टे और ओवर औल टूरिज़्म के प्रोमोशन हेतु निम्न प्रोमोशनल विडियोज बनाए जाने हेतु एजेंसी के चयन हेतु जनवरी 2020 में निविदाएँ आमंत्रित की गईं थीं;

- (01 to 02 minutes duration promotional short film (03) as per requirement of the script on different themes,
- 01 to 05 minutes duration promotional short (02) films as per requirement of the script on different themes and
- TVC of 30 seconds (05) for National & International promotion on different themes)

10 फरवरी 2020 को तकनीकी निविदाएँ खोली गईं, जिसमें तीन फ़र्मों को सफल घोषित किया गया।

26 फरवरी 2020 को उपरोक्त कार्य हेतु विभागीय निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी निविदा में सफल घोषित तीन फ़र्मों की वित्तीय निविदा खोली गईं। वित्तीय निविदा के अनुसार M/s McCann Ereickson India Pvt. Ltd., Mumbai द्वारा ₹ 21.50 करोड़ उद्धृत किए गए, M/s Creativeland Asia Pvt. Ltd, Mumbai द्वारा रु 30.70 करोड़ उद्धृत किए गए तथा M/s Ogilvy & Mather Pvt. Ltd, Mumbai द्वारा₹ 4.50 करोड़ (बिना जीएसटी) उद्धृत किए गए थे। M/s Ogilvy & Mather Pvt. Ltd.,Mumbai कीदरेंरु 4.50 करोड़ (कर अतिरिक्त) न्यूनतम होने के कारण परिषद द्वारा अनुमोदित कर दी गईं। तदनुसार, दिनांक 13 मई 2020 को फर्म को कार्या देश जारी किया गया। दिनांक 30 जुलाई 2020 को कार्य के निष्पादन हेतु फर्म के साथ अनुबंध किया गया था।

फर्म को सविदा की कुल धनराशि ₹ 4.50 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1.3098 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था।

(ब) इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में सितंबर 2018 में National Geographic Channel (NGC) ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर केदारनाथ तीर्थ स्थान पर एक फिल्म बनाए जाने हेतु ₹ 1.76 करोड़ लागत पर एक विस्तृत प्रस्ताव (Long Film-44 Minutes and Short Film-2-3 Minutes+30 seconds film) प्रेषित किया गया। इस संदर्भ में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (परिषद) द्वारा NGC के साथ वार्ता की, परिणामस्वरूप, NGC द्वारा उक्त प्रस्ताव में एक दो -तीन मिनट के स्थान पर 10 मिनट की फिल्म जोड़ते हुए ₹ 1.50 करोड़ हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। परिषद

द्वारा उस प्रस्ताव पर सचिव पर्यटन, उत्तराखंड शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित (दिसंबर 2018) किया गया। सचिव पर्यटन द्वारा उक्त प्रकरण में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्रविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित (18 जनवरी 2019) किया। परिषद द्वारा 25 जनवरी 2019 को NGC के साथ अनुबंध करते हुए कार्यादेश जारी किया गया। अनुबंध के अनुसार NGC द्वारा "Reincarnation of Kedarnath शीर्षक से एक 44 मिनट की फिल्म, 10 मिनट की एक फिल्म तथा दो-दो- मिनट की दो फिल्म का निर्माण ₹ 1.50 करोड़ के भुगतान पर किया जाना था।

फर्म को सविदा की कुल धनराशि ₹ 1.50 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1.1250 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था ।

अभिलेखों की संवीक्षा में उपरोक्त दोनों प्रकरणों में अधिप्राप्ति में निम्नलिखित अनियमिततायें पायीं गईं:

i) उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 60(1) के अनुसार फर्म की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग/सक्षम प्राधिकारी (प्रशासनिक विभाग) के माध्यम से वित्त विभाग से सहमति प्राप्त नहीं की गयी थी।

ii) निविदा प्रपत्र में डीएवीपी दरों और डीएवीपी में एम्पेनल्ड फिल्म निर्माताओं का उल्लेख नहीं किया गया।

iii) वित्तीय निविदा के अनुसार M/s McCann Ereickson India Pvt. Ltd., Mumbai द्वारा ₹ 21.50 करोड़ उद्धृत किए गए,M/s Creativeland Asia Pvt. Ltd, Mumbai द्वारा ₹ 30.70 करोड़ उद्धृत किए गए तथा M/s Ogilvy & Mather Pvt. Ltd, Mumbai द्वारा ₹ 4.50 करोड़ (बिना जीएसटी) उद्धृत किए गए थे। जो दरें स्वीकृत की गईं थीं, अन्य दो फ़र्मों की दरें उससे क्रमशः 477% व 682 % अधिक थीं। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों फ़र्मों द्वारा उद्धृत की गयी दरों का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं था, और यदि उनका कोई आधार था तो चयनित फर्म इतनी कम दरों पर कैसे काम कर सकती थीं। इससे पता चलता है कि विभाग द्वारा तीनों फ़र्मों द्वारा उद्धृत की गयी दरों का औचित्यपूर्ण विश्लेषण नहीं किया गया, अन्यथा इतने ज्यादा दरों के अंतर पर उक्त निविदा को निरस्त करते हुए पुनः निविदा की जानी चाहिए थी।

(iv) फिल्म निर्माण का कार्य बहुत सारी फ़र्मों द्वारा किया जाता है जैसा कि डीएवीपी पर 327 फिल्म निर्माता पूरे भारत में एम्पेनल्ड है। परिषद द्वारा पूर्व में मै0 टाइम्स मीडिया प्रॉडक्शन के माध्यम से केदारनाथ पुनर्निर्माण संबंधी 02 लघु फिल्मों का निर्माण ₹ 11.50 लाख की लागत पर डीएवीपी दरों पर कराया भी गया था। लेकिन परिषद द्वारा उक्त कार्य डीएवीपी की दरों से बहुत अधिक दरों पर कराया जा रहा था।

परिषद द्वारा M/s Ogilvy & Mather Pvt. Ltd, Mumbai के साथ ₹ 5.31 करोड (कर निहित) की ऱाशि पर अनुबन्ध किया। जबकि डीएवीपी दरों के अनुसार ये कार्य ₹ 1.34 करोड पर किया जा सकता था। उसी प्रकार एन.जी.सी. द्वारा निर्माण की गयी विडियो की कीमत डीएवीपी दरों को अनुसार ₹ 42.8 लाख थी, जबकि परिषद ने एन.जी.सी. के साथ ₹ 1.5 करोड की कीमत पर कार्य अनुमोदित किया गया।

Company	**Total Price Calculated as per DAVP rates (A)**	**Price approved by UTDB (B)**	**Difference (B) - (A)**	**Payment done till audit date**
M/S Ogilvy K Mother Pvt Ltd.	1,34,69,700	5,31,00,000	3,96,30,300	1,30,98,000
National geographic channel	42,81,984	1,50,00,000	1,07,18,016	1,12,50,000
Total	**1,77,51,684**	**6,81,00,000**	**5,03,48,316**	**2,43,48,000**

इस प्रकरण में स्पष्ट है कि परिषद द्वारा DAVP दरों से बहुत अधिक दरों पर कार्य कराया गया परिणामस्वरूप M/S Ogilvy K Mother Pvt Ltd. को पूर्ण भुगतान होने की स्थिति में ₹ 3.9630 करोड़ ***(Annexure A)*** का निरर्थक व्यय होगा। तथा एन.जी.सी. को पूर्ण भुगतान होने की स्थिति में रु 1.072 करोड़ ***(Annexure B)*** का निरर्थक व्यय होगा।

इस प्रकार उपरोक्त दोनों प्रकरणों में डीएवीपी दरों के अनुसार ₹ 1.7752 करोड़ का व्यय किया जाना था एवं लेखापरीक्षा तक कुल ₹ 2.4348 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। जो डीएवीपी दरों के अनुसार ₹ 0.6596 करोड़ अधिक था। इस प्रकार लेखापरीक्षा तक परिषद द्वारा डीएवीपी दरों का अनुसरण न करने के कारण ₹ 0.6596 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ। अनुबंध के अनुसार पूर्ण भुगतान होने की स्थिति में ₹ 5.0348 करोड़ का निरर्थक होगा।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर निदेशक पर्यटन ने उत्तर दिया कि प्रोमोशनल विडियो फिल्मों के निर्माण हेतु न्यूनतम निविदा दर के आधार पर प्रतिष्ठित अजेंसी का चयन किया गया तथा एनजीसी के प्रकरण शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूंकी परिषद द्वारा पूर्व में भी डीएवीपी दरों पर फिल्म निर्माण कराया गया था। अतः

डीएवीपी की दरों पर ही फिल्म निर्माण कराया जाना चाहिए था। यदि डीएवीपी दरों पर कार्य कराया गया होता तो अनावश्यक निरर्थक व्यय से बचा जा सकता था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

Annexure-1(A)

(Amount in Rs)

Duration of video	Quantity	DAVP Rates							*Total (unit price as per DAVP)*	*Total cost of quantity mentioned in bid as per DAVP*	*Rates approved by UTDB*		*Difference*
		Master	*Dubbing*	*Language version*	*HD Format Add 50% of master*	*Re-voice cover*	*Re-shooting charges*	*Re-editing charges*			*Unit price*	*Total bid price*	
Upto 60 seconds	05	350000	20000	250000	175000	10000	35000	15000	855000	4275000	3000000	15000000	8975000
60 seconds to 120 seconds	03	Pro-rata	Pro-rata	Pro-rata	Pro-rata	Pro-rata	Pro-rata	Pro-rata	Pro-rata 1710000	5130000	5000000	15000000	11385000
05 to 15 minutes	02	450000	45000	225000	225000	12000	30000	18000	1005000	2010000	7500000	15000000	11190000
Total										**11415000**		**45000000**	**33585000**
GST @18%										**2054700**		**8100000**	**6045300**
Total cost										**13469700**		**53100000**	**39630300**

Annexure-1(B)

(Amount in Rs)

Duration of video	Quantity	DAVP Rates							*Total (unit price as per DAVP)*	*Total cost of quantity mentioned in bid as per DAVP*	*Rates approved by UTDB*	*Difference*
		Master	*Dubbing*	*Language version*	*HD Format Add 50% of master*	*Re-voice cover*	*Re-shooting charges*	*Re-editing charges*				
Upto 60 seconds	01	350000	20000	250000	175000	10000	35000	15000	855000	855000		
05 to 15 minutes	01	450000	45000	225000	225000	12000	30000	18000	1005000	1005000		
15 to 30 minutes	01	550000	50000	250000	275000	25000	35000	21000	1768800	1768800		
Above 30minutes(pro-rata for 14 minutes)		256667	23333	116667	128333	11667	16333	9800				

Total	**3628800**	**3628800**	**15000000**	**10718016**
GST @18%	**653184**	**653184**		
Total cost	**4281984**	**4281984**		

Total wasteful expenditure **(39630300+10718016) = 50348316 Says- Rs 5.0348 crore.**
Expenditure to be incurred as per DAVP rates:(13469700+4281984) = Rs 17751684.00
Amount paid till date of audit (1.3098+1.1250) = Rs 2.4348, Excess or wasteful expenditure = (2.4348-1.7752) = Rs 00. 6596 crore

भाग दो (अ)

प्रस्तर 04: डी०पी०आर० मे 3 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से Contingency प्रभार का प्रावधान के परिणामस्वरूप, कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 49.95 लाख की धनराशि का अदेय लाभ दिया जाना।

CPWD Works Manual 2014 के अध्याय 4 के प्रस्तर 4.1.5 (1) के अनुसार यदि कार्य की लागत एक करोड़ या उससे कम है तो आगणन मे कार्य की लागत का 05 प्रतिशत की दर से Contingency प्रभार का प्रावधान किया जाना होता है। इसी अध्याय के प्रस्तर 4.1.5 (2) के अनुसार यदि कार्य की लागत एक करोड़ से अधिक है तो आगणन मे कार्य की लागत का 03 प्रतिशत की दर से Contingency प्रभार का प्रावधान किया जाना होता है। अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया कि इकाई द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों, जिनकी कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम लि० एवं सिंचाई विभाग खंड दुगड्डा थी, के आगणन/ डी०पी०आर० मे 3 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से Contingency प्रभार की गणना की गयी थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

(धनराशि ₹ लाख मे)

क्रम संख्या	**कार्य का नाम**	**कार्य की लागत**	**4% की दर से**	**3% की दर से**	**अन्तर**
1	टिहरी मे होटल प्रबंधन संस्थान का निर्माण कार्य।	985.13	39.41	29.55	9.86
2	मुनस्यारी मे पर्यटक आवास का निर्माण।	1134.61	45.39	34.04	11.35
3	रुद्रप्रयाग मे बस टर्मिनल का निर्माण।	988.58	39.54	29.66	9.88
4	पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय परिसर मे आवासीय भवनो का निर्माण।	515.58	20.63	15.47	5.16
5	पर्यटन आवास गृह बिर्थी का निर्माण।	943.70	37.75	28.31	9.44
6	लक्ष्मण झूला ऋषिकेश मे हैरिटेज पाथ का निर्माण।	426.06	17.04	12.78	4.26
	योग	**4993.66**	**199.76**	**149.81**	**49.95**

उपरोक्त निर्माण कार्यों के आगणन में 03 प्रतिशत के स्थान पर 04 प्रतिशत Contingency प्रभार का प्रविधान किए जाने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 49.95 लाख का अतिरिक्त व परिहार्य व्यय हुआ बल्कि निर्माण इकाई को अदेय लाभ भी पहुंचा। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर निदेशक, पर्यटन ने उत्तर दिया कि लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड मे पिलन्थ एरिया की दरों मे कंटिजेन्सी 4 प्रतिशत की दर से देय थी इसलिये 4 प्रतिशत की दरे लगाई

गयी थी। 4 प्रतिशत की दरे शासन द्वारा स्वीकृत कर उसको शासन स्तर पर गठित TAC से आगणन के परीक्षण के उपरांत ही ली गयी है। CPWD की दरों के norms के अनुसार वर्तमान मे 3 प्रतिशत के अनुसार आगणन मे Contingency का प्रावधान किया जा रहा है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि CPWD Works Manual 2014 के अनुभाग 4 के प्रस्तर 4.1.5 (2)मे स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कार्य की लागत ₹1.00 करोड़ से अधिक है तो Contingency का प्रावधान 3 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए । इकाई का उत्तर इसलिये भी उचित नहीं है क्योंकि जिस लोक निर्माण विभाग के नियमों का हवाला दिया गया है उसी ने वर्ष 2013 मे चम्बा पार्किंग के निर्माण पर 3 प्रतिशत की दर से Contingency का प्रावधान किया गया था।

अत: निर्माण कार्यों पर Contingency प्रभार का अधिक प्रावधान कर कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त लाभ दिये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 01: अधोमानक (Sub-Standard) निर्माण कार्य किये जाने पर कार्यदायी संस्था से ₹ 69.75 लाख की धनराशि की वसूली लम्बित रहना।

नई टिहरी मे होटल प्रबंधन संस्थान एवं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय परिसर मे कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आवासीय भवनो का निर्माण किया जाना था। उपरोक्त दोनों कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 मे क्रमश: ₹ 1148.70 लाख एवं ₹ 561.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु उत्तर प्रदेश निर्माण निगम लि० को कार्यदायी संस्था के रूप मे नामित किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि विभाग द्वारा जून 2018 मे दोनों कार्यों की तकनीकी जांच करायी गयी थी जिसमे कार्यों को अधोमानक (Sub-Standard) पाया गया एवं कार्यस्थल पर की गयी माप तथा निर्माण सामग्री के खपत के सापेक्ष वसूली प्रस्तावित की गयी थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

(धनराशि लाख मे)

क्रम संख्या	**कार्य का नाम**	**वसूली हेतु मद का विवरण**	**लम्बित वसूली**
1	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय परिसर मे आवासीय भवनो का निर्माण ।	PrimaryProducer से प्राप्त स्टील के स्थान पर Secondary Producer से प्राप्त स्टील का प्रयोग किया जाना।	4.19
2	नई टिहरी मे होटल प्रबंधन संस्थान का निर्माण।	PrimaryProducer से प्राप्त स्टील के स्थान पर Secondary Producer से प्राप्त स्टील का प्रयोग किया जाना एवं TrialPit (SPT), प्लास्टर, मिट्टी का निस्तारण, एवं अन्य।	65.56
	योग		**69.75**

जांच के उपरान्त लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त धनराशि वसूली हेतु लंबित थी। उपर्युक्त दोनों कार्यों मे प्रस्तावित लम्बित वसूली के संबंध मे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर निदेशक, पर्यटन द्वारा उत्तर दिया कि आवासीय भवनो के कार्यों से संबन्धित ₹4.19 लाख एवं टिहरी मे होटल प्रबंधन संस्थान के कार्यों से संबन्धित ₹ 65.56 लाख की वसूली के आदेश निर्गत कर दिये गए है। । इकाई का उत्तर मान्य नहीं है तृतीय पक्ष द्वारा जून 2018 मे कार्यों की जांच कर किये गये कार्य अधोमानक पाये गये थे एवं कार्यदायी

संस्था से वसूली प्रस्तावित की गयी थी, परंतु उसके पश्चात से लगभग तीन वर्ष बीतने के बाद भी उक्त धनराशि की वसूली नहीं की गयी थी, अपितु लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद वसूली के आदेश निर्गत किए गए थे। विभाग द्वारा उचित कार्यवाही न करके इतनी लम्बी अवधि के बाद भी वसूली लंबित रही।

अत: अधोमानक कार्य किये जाने पर जून 2018 मे प्रस्तावित ₹ 69.75 लाख की लंबित वसूली का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 02: ₹ 39.11 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियों का अनियमित रूप से पट्टे पर दिया जाना।

Uttarakhand Procurement Rules provided that according to Rule 67 (1) about five pre-qualified bidders should be considered as an international best practice for securing high quality bids. In case short-listing is to be done for two or three projects at the same time, the number of short-listed bidders could be increased to 7 and 10 respectively. For this purpose, a fair and transparent system of evaluation at the RFQ stage would be necessary and according to Rule51, on the basis of responses received from the interested parties as per Rule-50 above, consultants meeting the requirements should be short listed for further consideration. The number of short listed consultants should not be less than three.

According to Rule 67(12) Applicants should have a minimum net worth equivalent to 25% of the estimated capital cost of the project for which bids are to be invited. In the case of projects with an estimated cost of Rs. 500,00,00,000 (Rs five hundred crore) or more, the requirement of net worth could be suitably reduced, but should be no less than 15%. This would ensure that prequalified applicants have sufficient financial strength to undertake the project

भारत सरकार, पर्यटन मन्त्रालय द्वारा द्वारा सितम्बर 2015 में स्वदेश योजना के अंतर्गत “Development of Tourist Circuit “Integrated Development of Eco-Tourism, Adventure Sports, Associated Tourism related Infrastructure for development of Tehri Lake and surroundings as New Destination-District Tehri”हेतु उक्त योजना हेतु ₹ 80. 3734 करोड़ की स्वीकृति जारी की जिसे जुलाई 2020 में ₹ 69.1654 करोड़ हेतु संशोधित किया गया। भारत सरकार के स्वीकृति पत्र के क्लॉज़ 8 में यह उल्लिखित किया गया था कि भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की अनुमति के बिना राज्य सरकार/कार्यान्वयन इकाई कोई संपत्ति किराए या पट्टे पर नहीं देगी।

जून 2019 में Tehri Lake Resort (Koti) औरFloating Cottage, Eco-Lodges, Marina and Barge (Sirai) को पीपीपी मोड में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त दोनों परिसंपत्तियों को पैकेज-1 (Tehri Lake Resort, Koti costing to Rs 17.03 crore) और पैकेज-2 (Floating huts Sirai, Eco-Lodges Sirai, Marina floating Restaurent and Barge Boat costing to Rs 22.08 crore) हेतु सितंबर 2019 में निविदाएँ आमंत्रित की गईं। पैकेज-1 और पैकेज-2 हेतु न्यूनतम राशि क्रमशः ₹ 40.00 लाख व ₹ 42.50 लाख निर्धारित की गयी। पैकेज-1 और पैकेज-2 हेतु कुल पाँच फ़र्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमे से एक फर्म द्वारा अपना प्रस्ताव ई-टेंडर के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया तथा एक फर्म द्वारा धरोहर राशि से संबन्धित दस्तावेज़ अपलोड न हीं किए गए थे। इसलिए शेष तीन फ़र्मों (M/s Lalloji & sons, Ahmedabad, M/s

Mahalaxmi Castle & Villas Pvt. Ltd, Delhi and M/s Roi Hotels India Pvt. Ltd, New Delhi) तकनीकी मूल्यांकन हेतु चुना गया। M/s Lalloji & sons, Ahmedabad और M/s Roi Hotels India Pvt. Ltd,New Delhi द्वारा पैकेज-1 और 2 हेतु अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए तथा M/s Mahalaxmi Castle & Villas Pvt. Ltd, Delhi पैकेज हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस तरह तीन फर्मों द्वारा पैकेज-1 हेतु तथा दो फर्मों द्वारा पैकेज-2 हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। जिनमें उच्चतर निविदा के अनुसार दोनों पैकेज क्रमशः ₹ 5051500/ तथा ₹ 6151500/ हेतु M/s Roi Hotels India Pvt. Ltd, New Delhi को कार्य आबंटित करने हेतु चुना गया। फर्म द्वारा दोनों पैकेज हेतु एक वर्ष की धनराशि ₹ 13219540/ विभाग के खाते में जमा करा दी गयी। 20 जनवरी 2020 को उक्त फार्म के साथ 30 वर्षों के लिए अनुबंध गठित किया गया। अनुबंध के क्लॉज़ 10 के अनुसार लीज पर दी गईं परिसंपत्तियों को इंडेमनिफ़ाई कराया जाना था, प्रतिवर्ष परफ़ोर्मेंस सिक्यूरिटी को वैधता समाप्ति की तिथि से 30 दिन पूर्व नवीनीकृत कराया जाना था। अभिलेखों की संवीक्षा में उक्त परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिये जाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित अनियमिततायें पायीं गईं:

- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार अधिकतम फ़र्मों को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया, केवल दो और तीन फ़र्मों के मध्य से ही फर्म का चुनाव कर लिया गया, जिसके कारण उचित प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी;
- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार फर्म की नेट वर्थ दोनों पैकेज हेतु परियोजना की कुल लागत (₹ 39.1144 करोड़) का 15 प्रतिशत ₹ 5.8672 करोड़ होनी चाहिए थी जबकि उक्त फर्म की नेट वर्थ सीए की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2018 को रु 2.07 करोड़ थी।
- स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार उक्त संपत्ति को पट्टे पर दिये जाने से पूर्व भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त नही की गयी।
- अनुबंध की शर्त के अनुसार प्राइवेट पार्टनर द्वारा लीज पर दी गईं परिसंपत्तियों को इंडेमनिफ़ाई नहीं कराया गया एवं परफ़ोर्मेंस सिक्यूरिटी की वैधता समाप्त हो चुकी थी, जिसे पुनर्वैध नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित कराये जाने पर निदेशक, पर्यटन ने उत्तर दिया कि परिसंपत्तियों के इंडेमनिफ़ाई करने के संबंध में फर्म से ज्ञात कर संप्रेक्षा को अवगत कराया जाएगा,परफ़ोर्मेंस सिक्यूरिटी को पुनर्वैध कराये जाने हेतु फर्म को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः ₹ 39.11 करोड़ मूल्य कि परिसंपत्तियों का अनियमित रूप से पट्टे पर दिये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 03- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना अन्तर्गत राज सहायता की धनराशि ₹ 288.55 लाख वितरण हेतु लम्बित रहना।

उत्तरांचल शासन पर्यटन अनुभाग के अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या- 529, दिनांक 21 सितम्बर, 2005 वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली-2002 (प्रथम संशोधन नियमावली-2005) के अनुसार राजकीय सहायता का भुगतान नियम-9 के अधीन गठित समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर एकमुश्त राशि के रूप में योजना पूर्ण होने पर सम्बंधित बैंक शाखा जहां से आवेदक द्वारा ऋण लिया गया हो, को यथा सम्भव एक माह के भीतर सम्बंधित जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बंधित शाखा बैंक प्रबन्धक के संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त किया जायेगा।

कार्यालय के आहरण व वितरण के अन्तर्गत कार्यालय जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून द्वारा उपलब्ध करवायें वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना से सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में वाहन-मद में 22 लाभार्थियों की रू 68.39 लाख तथा गैर वाहन मद में 11 लाभार्थियों की रू 220.16 लाख अर्थात दोनों मदो में कुल 33 लाभार्थियों की कुल रू 288.55 लाख राजकीय सहायता की धनराशि सम्बंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तान्तरण हेतु लम्बित थी, विवरण निम्नवत है

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	वाहन मद		गैर वाहन मद	
	लाभार्थियों की संख्या	राजकीय सहायता की धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	राजकीय सहायता की धनराशि
2018-19	11	31.74	03	35.36
2019-20	11	36.65	08	184.80
योग	**22**	**68.39**	**11**	**220.16**
लाभार्थी कुल = 33(22+11) एवं कुल धनराशि = रू 288.55(रू 68.39 + रू 220.16) लाख				

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया है कि समय से बजट आंवटन न होने के कारण राजसहायता की धनराशि को लाभार्थियों के बैंक खातो में हस्तान्तरण हेतु लम्बित थी परन्तु उक्त धनराशि के हस्तान्तरण हेतु कार्यवाही गतिमान है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

सलंग्नकः परिशिष्ट अ एवं ब।

AIR- AMG-III/34/2020-21

परिशिष्ट-अ **वित्तीय वर्ष 2018-19**

	गैर-वाहन मद				
क्र0 स0	**आवदेक का नाम**	**योजना का नाम**	**योजना की लागत**	**राजसहायता की धनराशि**	**ऋण वितरक बैंक का नाम**
1	श्री सौरभ सेमवाल पुत्र श्री उर्वादत्त सेमवाल, ग्राम व पोस्ट कारबारी, विकासनगर	मोटेलनुमा आवासी सुविधा	4244625	1001156	आई0ओ0बी0, देहरादून
2	श्री माया राम पुत्र श्री आलम सिंह कुनावा, चकराता	मौटेलनुमा आवास	3500000	1155000	आई0ओ0बी0, देहरादून
3	श्री संदीप बहुगुणा पुत्र श्री टीकाराम लाखामण्डल, देहरादून	मौटेलुमा आवास	4850000	1320000	ओ0बी0सी0, विकासनगर
		योग		**3536158**	
	वाहन मद-				
1	श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री गयारू दत्त साहिया कालसी	बोलेरो	883038	220759	पी0एन0बी0 सहिया
2	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री जालम सिंह कालसी, देहरादून	बोलेरो	873038	218259	आई0ओ0बी0 विकासनगर
3	श्री रणवीर सिंह रावत पुत्र श्री बालम सिंह रावत, केदारपुरम, देहरादून	इनोवा	1750852	437713	यू0आर0बी0 देहरादून
4	श्री सादिया पुत्र श्री थेपड़ू ग्राम जाड़ी चकराता	बोलेरो	746000	186500	यू0आर0बी0 कोरूवा
5	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री खूबचन्द्र, देहरादून	स्फिट डिजायर	716776	179194	पी0एन0बी0, देहरादून
6	श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा, देहरादून	स्फिट डिजायर	680077	170019	बी0ओ0बी0, देहरादून
7	श्री आशाराम नैनवाल पुत्र श्री स्व0 चिन्तमणी, कारबारीग्रान्ट, देहरादून	फोर्स टैम्पो	1444000	361000	आई0ओ0बी0 भुड्डी, देहरादून
8	श्री पंकज बिष्ट पुत्र श्री गबर सिंह अजबपुर कला, देहरादून	फोर्स टैम्पो	1398000	349500	पी0एन0बी0,देहरादून
9	श्री जयदीप पुत्र श्री लच्छीराम प्रेमनगर, देहरादून	टाटा बस	1735000	433750	पंजाब सिंध बैंक, डोईवाला
10	श्री प्रेम तिवारी पुत्र देवीदत्त ऋषिकेश, देहरादून	टाटा बस	1735000	433750	अल्मोड़ा अर्बनकोपरेटिब बैंक ऋषिकेष
11	श्री खीमा पुत्र श्री रति ग्राम मशक पो0ओ0 मशक, चकराता	बोलेरो	737236	184309	पी0एन0बी0 कोटी कनासर
		योग	**12699017**	**3174753**	

परिशिष्ट-ब **वित्तीय वर्ष 2019-20**

	गैर-वाहन मद				
क्र.स.	**आवदेक का नाम**	**योजना का नाम**	**योजना की लागत**	**राजकीय सहायता की धनराशि**	**ऋण वितरक बैंक का नाम**
1	श्री वरूण सिंह पुत्र श्री स्व0 गुमान सिंह ग्राम विर्मे, चकराता देहरादून	मोटेलनुमा इकाई	300000	990000	एस0बी0आई0 चकराता
2	श्री अजीत तोमर पुत्र श्री जगत सिंह चोर कुनावा पुरोड़ी चकराता, देहरादून	रेस्टोरेंट	2500000	825000	एस0बी0आई0 चकराता
3	श्री उदय सिंह पुत्र श्री लाल बहादुर लाखामण्डल, चकराता, देहरादून	होटल	4700000	1320000	ओ0बी0सी0 विकासनगर
4	श्री बृजमोहन मेहन्दीरत्ता पुत्र श्री रामचन्द्र मेहन्दीरत्ता, विकास नगर, देहरादून	होटल	4500000	1320000	पी0एन0बी0 विकासनगर
5	निखिल जोशी पुत्र श्री कृपाराम जोशी ग्राम मुन्धान कालसी	होटल	5500000	1320000	पी0एन0बी0 विकासनगर
6	श्री बिरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह गाम जाड़ी चकराता	होटल	4500000	1320000	केनरा बैंक विकासनगर
7	श्री रघुवीर सिंह चौहान पुत्र श्री चन्दर सिंह चौहान ग्राम रिखाड़ टुंगरा चकराता	होटल	5000000	1320000	एस0बी0आई0 सहिया
8	श्री खजान दास पुत्र श्री घेमा दास पो0ओ0 नगऊ चकराता	होटल	3000000	990000	डि0 कोपरेटिब, बैक देहरादून
		योग	**32700000**	**18480000**	
	वाहन मद-				
1	श्री सफरूददीन पुत्र श्री पलियाकत अली बजांरावाला	टोयटा इनोवा	1747000	436750	पी0एन0बी0 देहरादून
2	श्री विमलेश कुक्रेती पुत्र परमानंद कुक्रेती, देहरादून	टोयटा इनोवा	1611000	402750	यू0आर0 बैंक केदारपुरम
3	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री बुद्धिराम होशियारी, देहरादून	स्विप्ट डिजायर	576700	144175	पी0एन0बी0 रायवाला
4	श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन सिंह सहसपुर	स्विप्ट डिजायर	586505	146377	ओ0बी0सी0 देहरादून
5	श्री सत्यापाल सिंह पुत्र स्व0 राय सिंह डोईवाला	वहन आर्टिगा	887789	221947	पी0एन0बी0 भानिया वाला
6	श्री आदित्य नौटियाल पुत्र राजेश नौटियाल विकासनगर, देहरादून	महिन्द्रा बोलेरो	899706	224927	एस0बी0आई0 विकासनगर
7	श्री हरविन्दर सिंह पुत्र अवतार सिंह ग्राम डोईवाला	स्विप्ट डिजायर	724100	181025	पी0एन0बी0 डोईवाला
8	श्री प्रदीप सिंह बिष्ट पुत्र श्री बीर सिंह बिष्ट कोटी अठुरवाला ,देहरादून	बस	2455368	613842	यू0जी0बी0 देहरादून
9	श्री ललित पंत पुत्र श्री मोहन चन्द्र पंत		2301000	575250	उ0ग्र0 बैंक दुधली

	निवासी दुधली डोईवाला, देहरादून				
10	श्री सुरेश पुत्र श्री रणजोर निवासी नथुवाला, देहरादून।		1747000	436750	एस0बी0आई0 नथुवाला
11	श्री ब्रहम दत्त विजलवाण पुत्र श्री कलिराम निवासी ग्राम चिल्हाड़ वाणाधार तहसील, त्यूनी, देहरादून		1125000	281250	एस0बी0आई0 त्यूनी।
		योग	**12590495**	**3665043**	

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 04- बैंक खाते में अर्जित ब्याज की राशि ₹ 57.29 लाख तथा पुरानी योजनाओं की ₹ 280.74 लाख की धनराशि का विगत वर्षों से खाते में अवरूद्ध रखना।

शासन के पत्रांक 3 सितम्बर, 2009 में स्पष्ट उल्लेख है कि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बैंकों में जमा(Park) की जाती रही है। यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा बनाये गये कोषागार नियम-9 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड़-5 भाग-1 के प्रस्तर-21 व 22-बी के विपरीत है तथा यदि किसी विशिष्ट कारणों के फलस्वरुप समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ में जमा किया जाय।

कार्यालय के बैंक खातों से सम्बंधित स्टेटमेंट की संवीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा यस बैंक, देहरादून में खाता संख्या- 011594600000980 का संचालन किया जा रहा था जो खाता सी0ई0ओ0 उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून के पदनाम से था। संदर्भित खाते में 10 फरवरी, 2021 को ₹ 338.03 लाख की धनराशि जमा थी अर्थात खाते का अंतिम अवशेष था। उक्त कुल जमा धनराशि में से ₹ 57.29 लाख अर्जित ब्याज की धनराशि थी तथा शेष धनराशि ₹ 280.74 लाख पुरानी योजनाओं की अवशेष धनराशि थी। उक्त अर्जित ब्याज की धनराशि के सम्बंध में उक्त शासनादेश में निहित प्राविधान के अनुसार तथा पुरानी योजनाओं की अवशेष धनराशि के अवरूद्धन के सम्बंध में शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त करके तद्नुसार कार्यवाही की जाना चाहिए थी जो लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि पुरानी योजनाओं की लम्बित धनराशि के भुगतान आदेश प्राप्त न होने की दशा में धनराशि बैंक खाते मे जमा है, जिन्हे भुगतान या राजकोष में जमा किये जाने की कार्यवाही कार्यालय स्तर पर गतिमान है। अर्जित ब्याज की धनराशि के सम्बंध में बताया कि अर्जित ब्याज की धनराशि को समय-समय पर राजकोष में जमा किया जाता रहा है। इकाई का उत्तर स्पष्ट न होने के कारण अथवा उत्तर में विरोधाभास होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि यदि कोई योजना पूर्ण हो जाती है, योजना पूर्ण होने के उपरान्त अर्जित ब्याज तथा अवशेष धनराशि को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य अथवा केन्द्र सरकार को समर्पित किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा तिथि तक परिषद् द्वारा नहीं किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01: विभागीय राजस्व/ प्राप्तियाँ ₹ 112.07 लाख की धनराशि शासकीय खाते मे जमा न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका वाल्यूम V भाग-I के नियम 21 के अनुसार विभागीय राजस्व/ प्राप्तियों की धनराशि को विभागीय प्राप्ति शीर्ष मे वर्गीकृत करते हुये शासकीय खाते मे जमा कराया जाना था। क्षेत्र के युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराये जाने हेतु वर्ष 2015 मे टिहरी मे होटल प्रबंधन संस्थान खोला गया जिसमे फरवरी 2021 तक 132 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया था।नई टिहरी स्थित होटल प्रबंधन संस्थान से संबन्धित अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि संस्थान मे अध्यनरत छात्र-छात्राओं से वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 तक के मध्य फीस के रूप मे प्राप्त ₹ 112.07 लाख की धनराशि विभागीय प्राप्ति शीर्ष में जमा की जानी चाहिये थी। परंतु, विभाग द्वारा उक्त धनराशि विभागीय प्राप्ति शीर्ष में जमा करने के स्थान पर टिहरी स्थित केनरा बैंक के खाता संख्या 2166101013775 में जमा की जा रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर निदेशक, पर्यटन ने अपने उत्तर मे आपत्ति को स्वीकारते हुये कहा किनई टिहरी स्थित होटल प्रबंधन संस्थान द्वारा छात्रों से फीस के रूप मे प्राप्त धनराशि केनरा बैंक के बचत खाते मे जमा है। इस प्रकार, परिषद द्वारा अनियमित रूप से विभागीय प्राप्तियों को बैंक खाते मे अवरुद्ध रखा गया था।

अत: ₹ 112.07 लाख की धनराशि के विभागीय प्राप्ति शीर्ष मे जमा न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'बप्रस्तर संख्या	**STAN**
आर्थिक अनुभाग 101/2019-20	1,2,3,4,5 व 6	1,2,3,4,5,6,7,8 व 9	00

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
101/2019-20	यथाशीघ्र प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा।		-	

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, पदेन महानिदेशक पर्यटन/पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

1- सतत् अनियमितायेः- शून्य

2- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी0डी0ओ0 का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्री देव सिंह सेलाल	सहायक लेखाधिकारी	22.10.2018	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, पदेन महानिदेशक पर्यटन/पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए0एम0जी0-III को प्रेषित कर दी जाय।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी..III